

### खास-खाबरे

### नौ लाख रु की लागत से मुक्तिधाम पर बनेगा शेड



औबेदुल्लागंज। समीपस्थ गांव हामीरि के मुक्तिधाम पर नौ लाख रु की लागत से शेड का निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका मंडीदीप के वार्ड-25 ईट्याकलां की पार्पद गीतांजलि पटेल की अध्यक्षता में भूमिपूजन हुआ। मंडीदीप नगर पालिका क्षेत्र के ईट्याकलां के एक किलोमीटर दूर पर स्थित हामीरि के मुक्तिधाम पर नौ लाख रु की लागत से नपा शेड निर्माण करेगी। इस मौके पर नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व जनपद अध्यक्ष अशोक पटेल, अर्जुन मीना, महेश मीना आदि मौजूद रहे। इस मौके पर अशोक पटेल ने कहा कि गांव में कई तरह के विकास कार्य चल रहे हैं और शासन की योजना का लाभ ग्रामीणों की पहुंचाने की कोशिश जारी है।

### एक दिन का वेतन काटने पर पटवारियों ने सौपा ज्ञापन, काम बंद करने का किया ऐलान

शाजापुर। शुजालपुर अनुभाग के पटवारियों का एक दिवस का वेतन काटने एवं सात दिनों के वेतन काटने के नोटिस के बाद जिलेभर के पटवारियों में नाराजगी है और इसीको लेकर पटवारियों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। शुक्रवार को जिले के सभी अनुभागों पर पटवारियों के द्वारा जिलाध्यक्ष हरिओम हनोतिया के मार्गदर्शन में ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में बताया कि पटवारी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शुजालपुर अनुभाग के पटवारियों का एक दिन का वेतन काटा गया है। वहीं सात दिनों का वेतन और काटने का नोटिस थमाया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटवारियों का कहना है कि महज जीओ टैंग के आधार पर फोटो शेयर नहीं करने पर प्रशासन द्वारा की गई अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि पटवारियों पर की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाए अन्यथा पटवारी कार्य नहीं करेंगे। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में पटवारी मौजूद थे।

### वन क्षेत्र की 8.2 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई

विदिशा ( निप्र )। जिले में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा वनमण्डल के परिक्षेत्र उत्तर और दक्षिण लटेरी के स्टॉफ वनमण्डल उडनदस्ता और समस्त वन विकास अमले ने ग्राम मसूड़ी से लगे वनक्षेत्र की लगभग 8.2 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। वन विकास निगम के विदिशा रायसेन परियोजना मण्डल के परियोजना परिक्षेत्र उत्तर लटेरी में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं वन मंडलाधिकारी हेमन्त यादव तथा तरुण कुमार कौरव संभागीय प्रबंधक, विदिशा रायसेन के निर्देशन मे केके यादव उप संभागीय प्रबंधक, श्री नवीन भारद्वाज परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी एवं सामान्य वनमण्डल के परिक्षेत्र उत्तर और दक्षिण लटेरी के स्टॉफ वनमण्डल उडनदस्ता और समस्त वन विकास अमले के साथ ग्राम मसूड़ी से लगे वनक्षेत्र कक्ष क पी – 470 मे लगभग 8.2 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण विरोधी मुहिम आगे भी जारी रहेगी।

### जिला सहकारी बैंक में वर्षों से कर्मचारियों की कमी

गंजबासौदा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक विदिशा, की सिटी सांयकालीनब्रांच एवं मुख्य ब्रांच में कर्मचारियों का भारी अभाव है सिटी सांयकालीनब्रांच तीन कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है यही हाल, उदयपुर व त्योंदा ब्रांच का है करोड़ो के लेन देन बाला बैंक ग्राहकों के बीच अव्यवस्था बनाए हुए हैं पिछले वर्षों मे रिटायर हुये कर्मचारियों की भर पाई भी नहीं हो सकी, और न ही शासन द्वारा चुनाव कराये गये हैं, ।

# कराटे कलर बेल्ट प्रतियोगिता में 75 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

सीहोर। मास्टर ऑफ ताओ कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में शहर के इंदौर नाका स्थित कराटे कौचिंग सेंटर में कराटे कलर बेल्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें करीब 75 से अधिक बच्चों ने भाग किया। इसमें 55 बच्चे सफल रहे। जिन्हें पुरस्कृत किया गया। शनिवार को आयोजित कराटे प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आवासीय खेलकूद संस्था के प्राचार्य आलोक शर्मा एसोसिएशन के कोच लखन ठाकुर, श्रीमती विमला ठाकुर, जिला संस्कार मंच के संयोजक मनोज दीक्षित मामा,



जिला उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र माहेश्वरी, राहुल माहेश्वरी, सोनू शर्मा, जिमांशु शर्मा, त्रयंबक ठाकुर, पायल बागवान माईडस आई इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य मनीषा यादव आदि शामिल थे। जिन्होंने कलर बेल्ट के साथ प्रमाण-पत्र का

वितरण किया। एसोसिएशन के कोच प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि यह प्रतियोगिता मुख्य प्रशिक्षक कराटे मास्टर कोच लखन ठाकुर के नेतृत्व में कराई गई। वहीं, विमला ठाकुर और त्रयंबक ठाकुर ने जज की भूमिका निभाई। इस

## राजस्व वसूली कार्यों में जिला पिछड़े नहीं : कलेक्टर

विदिशा।

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने शनिवार को राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने कार्य क्षेत्रों में बेहतर नवाचारों से जाने जाएं। अपने मूल कार्यों में जिला पिछड़े ना इस ओर विशेष ध्यान देने के निर्देश उन्होंने दिए हैं।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा राजस्व वसूली सहित अन्य कार्यों के संपादन व क्रियान्वयन प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए यदि उसी ढ़र्रे पर चलेंगे तो दंड के साथ सीआर में उल्लेख किया जाएगा।

कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि राजस्व वसूली में बड़े बकायदारों पर सख्ती से पहले कार्यवाही करे ताकि अन्य देखा-देखी स्वयं ही राजस्व कर जमा कराने कार्यालय आए।

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने तहसीलदारों से तहसील वार संवाद कर राजस्व वसूली की प्राप्ति के लिए क्या – क्या रणनीति तय की गई है की जानकारी प्राप्त करते हुए वर्तमान और बकाया राजस्व वसूली की राशि में से अब तक कितनी वसूली की गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों से कहा वित्तीय वर्ष समाप्ति में डेढ़ माह बचा है। अतः जिला किसी भी अवस्था में प्रदेश स्तर पर पिछड़

## आलू चिप्स के कारखानों से निकलने वाला दूषित पानी को कराया बंद



महू।

तहसील के ग्राम चौरडिया में आलू चिप्स के कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी बंद कर दिया गया है। ज्ञात है कि अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई थी, कि आलू चिप्स बनाने वाले कारखानों का गंदा पानी नाले में बह कर पर्यटक स्थल पाताल पानी के झरने में मिल रहा है।

जिसके कारण बदबूदार गंदे पानी से झरने के साथ ही पाताल पानी पर्यटन स्थल की आबो हवा और पानी खराब हो रहा है। जिसकी शिकायत प्रशासन को भी की गई जिस पर एसडीएम राकेश परमार और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, नायब तहसीलदार राधा वल्लभ धाकड़ ने चिप्स कारखाने के

संचालकों को गंदा पानी नाले में न छोड़ने के उचित निर्देश दिए ओर नियमों का पालन न करने पर कठोर कार्यवाही की भी चेतावनी दी।

गत दिवस ग्राम पंचायत चौरडिया के सरपंच सुरेश कैथवास ओर सचिव के द्वारा आसपास की सभी कृषि भूमि , नालों , ओर चिप्स कारखानों का ऑचित्य निरीक्षण किया गया। मौका मुहायना करने के बाद चौरडिया सरपंच ने एक सार्वजनिक सूचना प्रमाण पत्र के रूप में जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसानों के खेत पर नहर के पास मौका मुआयना किया गया है। वहां बहने वाला गंदा पानी बंद कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा है कि रेलवे के कार्य के चलते उक्त समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब उसका निराकारण कर दिया गया है।

## मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत 111 ने सात फेरे लिए, 71 ने निकाह कुबूल किया



गंजबासौदा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत नवीन मंडू परिसर में 111 जोड़ों ने सात फेरे लिए और 71 ने निकाह कुबूल किया। वहीं अंतर्जतीय विवाह भी हुए। जनपद पंचायत सीईओ भगवान सिंह ने बताया कि बर – बधू पक्ष को किसी प्रकार की परेशानी ना हो , आयोजन को लेकर पूर्व से ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और निकाह योजना अन्तर्गत कुल

182 पंजीयन हुए थे जिनमे यजमानों द्वारा 111 विवाह और काजी द्वारा 71 के निकाह कुबूल कराएं गए। आयोजन में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक हरिसिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी देवेन्द्र सिंह रघुवंशी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा बर – बधू को 49 हजार राशि के चैक, गिफ्ट वितरित कर सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया।

तंबाकू का सेवन और कैंसर के

बीच घातक संबंध: डॉ.डोंगरे

जबलपुर। कैंसर के खिलाफ चल रहे संघर्ष में, एक सबसे बड़ा दुश्मन है ‘तंबाकू’ जो सबसे ज्यादा खतरनाक है।

दशकों के शोध से पता चला है कि तंबाकू के सेवन और विभिन्न प्रकार के कैंसर के बीच जटिल और विनाशकारी संबंध है। फेफड़ों के कैंसर से लेकर अग्नाशय के कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर तक, तंबाकू का सेवन और कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर के बीच का संबंध स्पष्ट है। डॉ. अमोल डोंगरे, मेडिकल ऑन्को लॉजिस्ट, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, नागपुर ने इसके बारे में जानकारी साझा की। इस घातक संबंध में सबसे आगे फेफड़ों का कैंसर है, जो दुनिया भर में कैंसर के सबसे प्रचलित और जानलेवा प्रकारों में से एक है। इसका मुख्य कारण तंबाकू का धुआं है, जिसमें कम से कम 70 ज्ञात कार्सिनोजेन (कैंसर पैदा करने वाले तत्व) सहित 7,000 से अधिक रसायन होते हैं।

### म.प्र. लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में जिले के 1074 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे

विदिशा ( निप्र )। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2025 आज रविवार 16 फरवरी को विदिशा नगर के दो परीक्षा केंद्रों पर दो सत्रों में होगी। लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा इस परीक्षा में सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक आनंद बिहारी गुप्ता को संभागीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस परीक्षा में जिला मुख्यालय के दो परीक्षा केंद्रों पर 1074 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षकों, केंद्र प्रेक्षको, फ्लाईंग स्क्वॉड, पुलिस नोडल अधिकारियों, बिजली विभाग व परीक्षा में संलग्न अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, इस परीक्षा के संचालन में किसी भी तरह की कोताही नही बरती जाए।

परीक्षा केन्द्र कोड क्रमांक 33/1 राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर नोडल महाविद्यालय विदिशा में 500 छात्र परीक्षा देंगे।

# राजस्व वसूली कार्यों में जिला पिछड़े नहीं : कलेक्टर



भू-राजस्व एवं पूर्व वर्षों की बकाया राशि, अर्थदण्ड, शाला उपकर, पंचायत उपकर, परिवर्तित भू-राजस्व, राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया शुल्क के अलावा राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की है।

कलेक्टर श्री सिंह ने उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों में लंबित निराकरण मामलों के निराकरण करने में विदिशा जिला प्रदेश की रैंकिंग सूची में अक्वल है। इसी गति को बनाए रखने की अपेक्षा अन्य मामलों में उन्होंने अभिव्यक्त की है। समीक्षा बैठक में नामांतरण विवादित, अविवादित, सीमांकन, बंटवारा विवादित, अविवादित, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सायबर तहसील भू-आवंटन, स्वामित्व योजना के तहत ग्राउण्ड टूडथिंग एवं ड्राफ्ट नक्शों की स्थिति, संशोधित नक्शा एवं प्रकाशन की स्थिति, लंबित ग्रामो की स्थिति, फार्म रजिस्ट्री के तहत तहसीलवार प्रगति, आधार खसरा, ईकेवायसी की रिपोर्ट, आधार से आरो आर खसरे की लिकिंग, आधार बैंक

# ऐतिहासिक होगा शहर के लिए विराट गायत्री शक्तिपीठ महायज्ञ: राठौर

सीहोर।

शहर के माधव आश्रम में होने वाले विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के प्रचार प्रसार और व्यवस्थाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ परिसर में आयोजित बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर सम्मिलित हुए।

बैठक के दौरान गायत्री परिवार के युवा संयोजक मनोहर दांगी के द्वारा विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के प्रचार प्रसार और व्यवस्थाओं की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर ने कहा की अप्रेल माह में शहर में होने वाला विराट 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ अदभुत और ऐतिहासिक होगा। चार दिवसीय कार्यक्रम के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं नगर पालिका के द्वारा कराई जाएंगी। नपाध्यक्ष राठौर ने कहा की बाहर से आने वाले अतिथि



हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। नपा के द्वारा बिजली पानी साफ सफाई के इंतजाम कराए जाएंगे।

आयोजन समिति सह प्रभारी विमल तेजसजी ने बताया की गायत्री महायज्ञ की सफलता के लिए 108 गांवों के भ्रमण के लिए तीन टोली भाइयों बहनों की बनाई गई है। गावों और शहर के मोहल्लों में कार्यकर्ताओं के साथ सकल हिन्दू समाज की बैठके ली जा रही है। बहनों की टोलियां मोहल्ले मोहल्ले जाकर दीप महायज्ञ का निर्मंत्रण दे रही है। इसी प्रकार आयोजन को लेकर ग्राम सेमरा दांगी, धामंदा, आमझार, मोगाराम गुडभेला में गायत्री परिजनोओं के द्वारा

बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में प्रमुख रूप से रघुनाथ प्रसाद हजारी अखिल भारतीय दंगी समाज के अध्यक्ष बाबूलाल पटेल सचिव भीकम सिंह,पाटीदार समाज प्रदेश महामंत्री नंदकिशोर पाटीदार जनपद सदस्य संस्था बलवान सिंह दांगी,कुबेर सिंह दांगी, हीरालाल वर्मा, ओमप्रकाश दांगी, जीवन दांगी, अजितेश दांगी, महेश विजयवर्मा, भगवत प्रसाद मल्होत्रा,शंकर लाल, शिवराज वर्मा,आरके सिंह, प्रहलाद वर्मा, नाथूराम वर्मा, रमाकांत शर्मा,द्वारका वर्मा,रमेश चंद्र सागबलिया,कैलाश चंद्र आदि उपस्थित रहे।

### मुख्यमंत्री डॉ. यादव से केंद्रीय राज्यमंत्री नाईक ने की उज्जैन में सौजन्य भेंट



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक ने उज्जैन में सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रहे बेहतर कार्य की सराहना की

केंद्रीय राज्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश को सभी आवश्यक सहयोग मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिये बधाई और शुभकामनाएँ दी।

| भौतिक कब्जे की सूचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ICICI Bank</b> शाखा कार्यालय <span> </span> : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कार्यालय संख्या 201-बी, द्वितीय तल, रोड नं. 1फ्लॉट नं. बी3, वार्डनकॉ आईटी पार्क, वागले औद्योगिक एस्टेट, वाणे (परिष्कृत) - 400604                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकर्ण, वित्तीय आस्तिायों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को मांग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।           |                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाला द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संयभवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संयभवहार आईसीआईआई बैंक लिमिटेड के प्रमाण के अधीन होगा। |                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| क्र.सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता क्र.                   | संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्जे की तिथि                                                                                                                                                          | डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.) का नाम  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आवेदक- फरीद कुंशी/सह-आवेदक- फिरदौस कुंशी/ TBBHP00006376791 | खसरा नं. 764/1, पी.एच.नं. 37, हाथीधान वार्ड नं. 21, अंसार अहमद गली, टोरी मोहल्ला, सिरोंज, मध्य प्रदेश/ विदिशा- 464228 (प्लॉट का क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट यानी 223.04 वर्ग मीटर)/ फरवरी 13, 2025 | दिसम्बर 13, 2023 रु. 34,90,161.00/- (सिरोंज जिला- विदिशा) |
| उपरोक्त दर्शाए गए कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) एवं जमानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात कब्जे की संपत्ति(याँ) नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>दिनांक<span> </span>: फरवरी 15, 2025</b><br><b>स्थान<span> </span>: सिरोंज (विदिश)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता</b><br><b>आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                           |